



पैसों के लालच में कलयुगी बेटे ने पिता को मारी गोली, मौत

► जिले के ग्राम पिछोड़ी में सामने आई दिल दहला देने वाली घटना

बड़वानी, (नवभारत)। जिले के पिछोड़ी गांव में सोमवार दोपहर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां महज रुपयों के विवाद में एक बेटे ने अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी बेटे ने बहस के दौरान अपने पिता की कनपटी पर पिस्टल सटाकर गोली मारी दी, जिससे उनकी मौत पर ही मौत हो गई।

ये है पूरा मामला
पुलिस के अनुसार 32 वर्षीय आरोपी चंदन बड़ोले पहले वेल्डिंग की दुकान चलाता था। वह पिछले काफी समय से अपने पिता जगन बड़ोले 58 पर पैसों के लिए दबाव बना रहा था। पिता ने उसे पहले भी दो लाख रुपये दिए थे, लेकिन चंदन की मांगें खत्म नहीं हो रही थीं। सोमवार दोपहर

इसी बात को लेकर दोनों के बीच तोखी बहस हुई, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई।
पत्नी के सामने ही चला दी गोली
मृतक की पत्नी गौरी बाई ने पुलिस को बताया कि विवाद के दौरान चंदन ने आपा खो दिया और घर में रखी पिस्तौल निकालकर पिता के सिर पर गोली मारी। लहलुहान हालत में जगन बड़ोले ने वहीं दम तोड़ दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।



जमीन है। आरोपी चंदन अक्सर जमीन और रुपयों को लेकर घर में झगड़ा करता रहता था। पुलिस ने मृतक की पत्नी के बयान पर आरोपी बेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। मृतक के शव का पोस्ट मार्टम जिला अस्पताल में परिजनों की उपस्थिति में किया।

जमीन-पैसों का था पुराना विवाद

परिजनों ने बताया कि परिवार के पास कुल 7 एकड़ जमीन है। आरोपी चंदन अक्सर जमीन और रुपयों को लेकर घर में झगड़ा करता रहता था। पुलिस ने मृतक की पत्नी के बयान पर आरोपी बेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। मृतक के शव का पोस्ट मार्टम जिला अस्पताल में परिजनों की उपस्थिति में किया।

पुलिस कर रही है गिरफ्तारी का प्रयास

कोतवाली थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन ने बताया कि मर्ग कायम कर जांच में लिया है प्रथम दृष्टया पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनुसार सिर में गोली लगने से मौत की पुष्टि हुई है। फिलहाल आरोपी चंदन फरार है। एएसपी पद्मविलोचन शुक्ल के मार्गदर्शन में पुलिस की टीमें अलग-अलग ठिकानों पर दबिश देकर गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है।

कागजों में दौड़ रहे 31948 काम, मजदूर बेरोजगार

बड़वानी, (नवभारत)। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय रोजगार का गंभीर संकट उभरकर सामने आया है। मनरेगा के तहत कागजों में हजारों निर्माण कार्य जारी दिखाए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। जिले की 409 में से 388 ग्राम पंचायतों में 31948 निर्माण कार्य दर्ज हैं, लेकिन इनमें केवल 11878 मजदूर ही कार्यरत नजर आ रहे हैं, जबकि कुल पंजीकृत मजदूरों की संख्या करीब 5 लाख है। इसका सीधा असर ग्रामीण गरीब परिवारों पर पड़ रहा है, जिन्हें रोजगार नहीं मिलने की वजह से पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

हुआ है, जिसमें 2.13 करोड़ मजदूरी और करीब 16 करोड़ सामग्री मद शामिल है। भुगतान में देरी के चलते कई निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं और नए कार्य शुरू नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि मजदूरी दर 261 रुपए प्रतिदिन निर्धारित है, जो शहरों में मिलने वाली मजदूरी से काफी कम है, फिर भी ग्रामीण मजदूर काम करने को तैयार हैं, लेकिन काम की कमी, तकनीकी बाधाएं और भुगतान में देरी ने स्थिति को चिंताजनक बना दिया है। यदि जल्द समाधान नहीं हुआ, तो गांवों से पलायन और बढ़ेगा।

388 पंचायतों में सिर्फ 11878 मजदूर सक्रिय
पंचायत पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार जिले की 388 ग्राम पंचायतों में 31948 निर्माण कार्य चल रहे हैं, लेकिन धरातल पर अधिकांश कार्य बंद पड़े हैं। कई स्थानों पर एक या दो मजदूर ही काम करते दिखाई देते हैं। ये स्थिति ग्रामीण रोजगार व्यवस्था की कमजोर हकीकत को उजागर करती है। काम नहीं मिलने की वजह से मजदूर अब शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं। यदि जल्द ही भुगतान की व्यवस्था नहीं

की गई, तो स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है।
ब्लॉक वार स्थिति
जिले के विभिन्न विकासखंडों में मजदूरों की स्थिति असंतुलित बनी हुई है। पानसेमल में 60632 मजदूरों में से 1335 काम कर रहे हैं। बड़वानी ब्लॉक में 63925 में से 962 मजदूर सक्रिय हैं। राजपुर में 71164 में 1427, निवाली में 40109 में 1141, ठीकरी में 48667 में 927 मजदूर कार्यरत हैं। सेंधवा में 122459 मजदूरों में से 2698 काम कर रहे हैं, जबकि पाटी में 93893 में से 3398

मजदूरों को ही रोजगार मिल रहा है। कुल मिलाकर 499849 पंजीकृत मजदूरों में से सिर्फ 11878 मजदूर ही काम पर लगे हैं। ये आंकड़े ग्रामीण रोजगार की स्थिति को स्पष्ट करते हैं।
तकनीकी बाधाएं रोजगार में रुकावट
जागृत आदिवासी संगठन के कार्यकर्ता हरसिंग जर्मर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या बड़ी बाधा बन रही है। जांब कार्ड की ई-केवाईसी, फेस स्कैन व ऑनलाइन हाजिरी जैसी प्रक्रियाएं सही से नहीं हो पा रही हैं। टावर की कमी से कई बार हाजिरी दर्ज नहीं हो पाती, जिससे मजदूरों को भुगतान से वंचित रहना पड़ता है। उनका कहना है कि इससे योजना का लाभ कम हो रहा है और मजदूरों को मजबूर शहरों की ओर पलायन करना पड़ रहा है।

एक सप्ताह में भुगतान की उम्मीद

मनरेगा कार्यों का भुगतान शासन स्तर पर लंबित है। आगामी सप्ताह में 2.13 करोड़ रुपए मजदूरी और 16 करोड़ रुपए सामग्री राशि आने की संभावना है। ये राशि देकर सरकार से राज्य सरकार के माध्यम से पंचायतों तक पहुंचती है। मजदूरी भुगतान अधिकांशतः समय पर हो जाता है, जबकि सामग्री मद में प्रक्रिया की वजह से अधिक समय लगता है।
-काजल जावला, सीईओ जिला पंचायत बड़वानी

नेशनल लोक अदालत लगेगी 9 मई को

बड़वानी, (नवभारत)। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महेन्द्र कुमार जैन की अध्यक्षता में 9 मई को नेशनल लोक अदालत आयोजन होगा। जिसके संबंध में अधिवक्ता कथा बड़वानी में समस्त अधिवक्तागण के साथ बैठक का आयोजन हुआ।



जैन ने कहा कि लोक अदालत में पक्षकारों के आपसी राजीनामे से होता है प्रकरणों का निराकरण कोई दबाव नहीं होता, निर्णय के बाद कोर्ट फीस पक्षकार को वापस मिल जाती है। साथ ही अनुरोध किया है कि पूर्व लोक अदालत की तरह नेशनल लोक अदालत में एनआईएफ्ट, पारिवारिक, क्लेम, सिविल, एमजेसी बजावरी आदि राजीनामा योग्य प्रकरणों में सहजोती का प्रयास करे। साथ ही प्रिलिटिंगेशन प्रकरण जैसे विद्युत प्रकरण, सम्पत्तिकर, जलकर, आदि छूट के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

कार्यकारिणी घोषित की

► ऋषभ दोसी जिलाध्यक्ष नियुक्त
► अंजना जैन वनी महिला शाखा अध्यक्ष

बड़वानी, (नवभारत)। मध्य प्रदेश के धार्मिक जिले बड़वानी में दिगंबर जैन युवा महासभा के राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष विकेश मेहता ने एडवोकेट ऋषभ दोसी को जिला अध्यक्ष एवं एडवोकेट अंजना जैन को महिला शाखा का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उल्लेखनीय की पूरे देश में राष्ट्रीय नेता विकेश मेहता द्वारा जैन समाज के युवाओं को एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। दिगंबर जैन युवा महासभा के

आगामी वर्ष में 600 जिलों की कार्यकारिणी घोषित की जा रही है। इनकी नियुक्ति में पर दिगंबर जैन महासभा के प्रमुख गजराज गंगवाल, पवन गोधा, शरद कासलीवाल सहित खरगोन जिलाध्यक्ष पारस कासलीवाल ने शुभकामनाएं दीं। मेहता ने उनकी नियुक्ति करते हुए निर्देश दिया कि शीघ्र ही बड़वानी जिले की कार्यकारिणी घोषित करें। साथ ही महिला अध्यक्ष को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़कर जैन जागृति जनगणना अभियान में अपना सहयोग दें। दिगंबर जैन महासभा की सदस्यता अभियान को गति दें।

सचिव अमूल मंडलोई ने लोक अदालत के लाभ बताए। साथ ही कहा कि लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है इसके विरुद्ध अपील नहीं होती है, लोक अदालत की प्रक्रिया तनाव मुक्त होती है। अध्यक्ष अधिवक्ता सोहनलाल पाटीदार ने लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों में निराकरण करने में सहमति दी। इस दौरान तृतीय अपर जिला न्यायाधीश रेखा चन्द्रवंशी, द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश चन्दनसिंह चौहान मुख्य न्यायिक मजि सुमित शर्मा मुख्य न्यायिक मजि व अन्य न्यायिक अधिकारी व अध्यक्ष अधिवक्ता संघ सोहनलाल पाटीदार, सचिव नुरुज्जमा शेख एवं अन्य अधिवक्ता उपस्थित थे।

आलीराजपुर में नहीं हो सकेंगे बोरिंग, जिला जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित

आलीराजपुर। जिले में गिरते भूजल स्तर और संभावित पेयजल संकट को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी नीतू माथुर ने मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पूरे जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार आलीराजपुर जिले में निजी एवं अशासकीय नलकूप (बोरिंग) के खनन पर तत्काल प्रभाव से 30 जून 2026 तक अथवा पर्याप्त वर्षा होने तक पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की रिपोर्ट में बताया गया है कि कृषि एवं अन्य उपयोगों के लिए भूजल का अत्यधिक दोहन होने से जल स्तर लगातार गिर रहा है, जिससे आने वाले समय में पेयजल संकट गहराने की आशंका है। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर श्रीमती माथुर ने स्पष्ट कहा कि आदेश का उद्देश्य करने पर बोरिंग मशीन जब्त की जाएगी, संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होगी तथा दोषी पाए जाने पर 5,000 रुपये तक जुर्माना और दो वर्ष तक की सजा हो सकती है। साथ ही कहा कि शासकीय योजनाओं के अंतर्गत होने वाले नलकूप खनन को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है तथा विशेष परिस्थितियों में अपर कलेक्टर की अनुमति से पेयजल व्यवस्था के लिए निजी नलकूप की स्वीकृति दी जा सकेगी। उन्होंने आम नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए जल संरक्षण को अपनाने का आग्रह किया है, ताकि गर्मी के मौसम में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

संत कुटिया देवझिरी में गादी हस्तांतरण समारोह, महंत किशनदास नए गादीपति



झाबुआ। प्राचीन धार्मिक स्थल संत कुटिया देवझिरी में सोमवार को गादी हस्तांतरण समारोह हुआ। इस गौरवमयी कार्यक्रम में उदासीन अखाड़ा (नया) की परंपरागतराज चंद्रविधि हुई। इसके माध्यम से मंदिर की कमान नए गादीपति को सौंपी जाएगी। देवझिरी स्थित मंदिर और समस्त धार्मिक क्रियाओं का संचालन वर्तमान में उदासीन अखाड़ा (नया) द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान गादीपति महंत रूपादास (माताराम) ने अपनी बढ़ती आयु और अस्वस्थता के चलते अखाड़े के समक्ष नया गादीपति नियुक्त करने का आग्रह किया था। उनके इस आग्रह को स्वीकार करते हुए अखाड़े ने

सामूहिक रूप से श्री अमकृष्ण आश्रम टीकरी (जिला बड़वानी) के महंत श्री किशनदास जी महाराज को संत कुटिया देवझिरी का नया गादीपति नियुक्त करने का निर्णय लिया है। अखाड़े के बड़े संतों मुकामी महंत मंगलदास (उज्जैन) के पवन सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में दो दिवसीय विशाल भंडारा भी संचालित किया गया। कार्यक्रम में शैलप दुबे, सोनु माली, बबलू अनिहोत्री, भूर्जी अमल्यार, संदीप पाल, अर्जुन चौहान, उदय बिलवाल, पवन गरवाल, भावेश सोलंकी, चेतन सोलंकी, सोरभ जैसवाल, अंतिम शर्मा, जितेंद्र पवार, जितेश प्रजापति और अन्य मौजूद रहे।

कट्टीवाड़ा सहकारी बैंक में करोड़ों का गबन, तीन अधिकारी घिरे, पुलिस जांच तेज

आलीराजपुर। समीपस्थ कट्टीवाड़ा थाना क्षेत्र स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा में करोड़ों रुपये के गबन और धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। किसानों के हितों से जुड़े इस मामले ने न केवल बैंकिंग व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर चिंतन की आवश्यकता पैदा कर दी है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बैंक के तीन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है।
जानकारी के अनुसार 2023-24 के दौरान कट्टीवाड़ा शाखा में पदस्थ तत्कालीन समिति प्रबंधक निरधारीलाल राठौड़, चेकर

रमेश भूरिया तथा कर्मचारी निर्भयसिंह तोमर पर किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण के नाम पर बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता करने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि इन अधिकारियों ने सुनियोजित तरीके से कुट्टरचित दस्तावेज तैयार किए और किसानों के नाम पर स्वीकृत ऋण वास्तविक हितग्राहियों के खातों में जमा करने के बजाय निजी खातों में स्थानांतरित कर दी।
सूत्रों के अनुसार, इस घोटाले से बैंक को लगभग चार करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है। मामले के उजागर होने के बाद जिला सहकारी बैंक प्रबंधन विभागियों जांच कराई, साथ ही संबंधित वित्तीय वर्ष का सूक्ष्म ऑडिट भी कराया गया। ऑडिट रिपोर्ट में तीनों कर्मचारियों की संलिप्तता और अनियमितताओं की पुष्टि स्पष्ट रूप से सामने आई। इसके बाद वर्तमान शाखा प्रबंधक द्वारा ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर कट्टीवाड़ा थाने में आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, गबन और आपराधिक षड्यंत्र

जैसे गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया गया। पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह ने पुष्टि करते हुए बताया कि सहकारी बैंक शाखा में गबन की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं और शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी सामने आया है कि मुख्य आरोपी निरधारीलाल राठौड़ पर पूर्व में भी अनियमितता और गबन के आरोप लगा चुके हैं। इससे न केवल उनकी भूमिका संदिग्ध बनती है, बल्कि यह भी संकेत मिलता है कि बैंकिंग तंत्र में निगरानी और जवाबदेही की कमी रही है। घटना के बाद

क्षेत्र के किसानों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। जिन किसानों के नाम पर ऋण स्वीकृत हुआ, वे अब खुद को ठाठा हुआ महसूस कर रहे हैं। कई किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए तथा उनके नाम पर हुए ऋण को निरस्त कर उन्हें न्याय दिलाया जाए। फिलहाल पुलिस और बैंक प्रबंधन दोनों ही मामले को गहराई तक जांच में जुटे हैं। आने वाले दिनों में इस घोटाले से जुड़े और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। यह मामला न केवल आर्थिक अपराध है, बल्कि किसानों के विश्वास के साथ किया गया गंभीर विश्वासघात भी है, जिसकी निष्पक्ष जांच और कठोर दंड समय की मांग है।

